

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 559]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2022—आश्विन 20, शक 1944

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2022

सूचना

क्रमांक आर नं. 897809 / 2022 / 22 / पं.-2, मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस (शर्त तथा अपवाद) नियम, 1996 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 77 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 95 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर, उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो कि उक्त प्रारूप के संबंध में, किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में, -

1. नियम 14 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“14क. बाजार फीस.-

- (1) हाट बाजार क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों पर बाजार फीस अधिरोपित की जा सकेगी।
- (2) कोई व्यवसायी किसी ग्राम में नाई की दुकान तथा किराने की दुकान के रूप में नियमित सेवाएं प्रदान करते हैं, और यदि ग्राम पंचायत के नियंत्रण के अधीन बाजार में बिक्री के लिए अपना माल रखते हैं या सेवाएं प्रदान करते हैं, तो उन्हें विद्यमान कर की दरों में 50 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जा सकेगी।
- (3) महिला स्व-सहायता समूहों, स्थानीय शिल्पियों तथा कारीगरों को भी उप-नियम (2) में विहित कर की दर में उपरोक्त छूट दी जा सकेगी।”;

2. तृतीय अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:-

‘तृतीय अनुसूची
(नियम 14 देखिए)

विक्रय के लिए माल रखने वाले या ग्राम पंचायत से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन किसी बाजार या स्थान में सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों पर या किसी भवन या संरचना का उपयोग करने के लिए फीस की दर

अनुक्रमांक	विवरण	कर की दर	
		न्यूनतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रति एक वर्ग मीटर या उसके किसी भाग की माप वाले स्थान के लिए	₹3.00 प्रतिदिन	₹5.00 प्रतिदिन
2.	विक्रय के लिए मानव द्वारा चलित हाथ ठेला द्वारा लाए गए माल	₹20.00 प्रतिदिन	₹30.00 प्रतिदिन
3.	विक्रय के लिए लोडिंग वाहन जैसे - ट्राली तथा ऑटो द्वारा लाए गए माल	₹30.00 प्रतिदिन	₹50.00 प्रतिदिन
4.	प्रचार या प्रसार के लिए निजी व्यक्तियों तथा प्रतिष्ठानों द्वारा लगाए गए स्टाल	₹100.00 प्रतिदिन	₹150.00 प्रतिदिन;”;

3. चतुर्थ अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:-

**“चतुर्थ अनुसूची
(नियम 15 देखिए)**

ग्राम पंचायत से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन किसी बाजार या स्थान में बेचे गए
पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर फीस की दर

अनुक्रमांक	पशु	न्यूनतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1. बकरा, बकरी	₹25.00	₹50.00
2.	2. भैंसा, भैंस, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी, ऊंट, सुअर, गधा, बछड़ा, बछड़ी	₹50.00	₹100.00 "।

Bhopal, the 12th October 2022

NOTICE

No. R-897809/2022/22/P-2 The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Gram Panchayat Obligatory Taxes and Fees (Condition and Exceptions) Rules, 1996 which the State Government hereby proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (1) of section 77 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby published as required by sub-section (3) of section 95 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and Notice is, hereby, given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of the 30 days from its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received at the Office of Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Panchayat and Rural Development Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period specified above shall be taken into consideration by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,-

1. after rule 14, the following rule shall be added, namely:-

"14A. Market Fee.-

- (1) The market fee may be imposed on the persons providing services in the haat market area.
- (2) Any traders provide services such as barber shop and provisions shop regularly in the village and if they expose the goods for sale or provide the services in the market controlled by the Panchyat then they may be exempted upto 50 percent in the existing tax rates.
- (3) Women self-help groups, local Craftsmen and artisan may also be given the above exemption in the rate of tax prescribed in sub-rule (2)";
2. for the third schedule, the following schedule shall be substituted, namely:-

"The Third Schedule

(See rule 14)

Rate of fees on persons exposing goods for sale or providing services in any market or place belonging to or under the control of the Gram Panchayat or for the use of any building or structure therein

S.N.	Description	Rate of Tax	
		Minimum	Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	For every space measuring one square meter or part there of	₹3.00 per day	₹5.00 per day
2.	The goods brought by the hand cart driving by man for sale	₹20.00 per day	₹30.00 per day
3.	The goods brought by the loading Vehicle such as Trolley and Auto for sale	₹30.00 per day	₹50.00 per day

4.	The stall installed by the private persons or establishment for publicity or propagation.	₹100.00 per day	₹150.00 per day”;
----	---	-----------------	-------------------

3. for the fourth schedule, the following schedule shall be substituted, namely :-

**“The Fourth Schedule
(See rule 15)**

Rate of fees on Registration of animals sold in any Market or place belonging to or under the control of the Gram Panchayat

S.N.	Animal	Minimum	Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	He goat, She goat	₹25.00	₹50.00
2.	He-buffalo, she-buffalo, Bullock, Cow, Horse, Mare, Camel, Pig, Ass, Calf, she Calf	₹50.00	₹100.00” .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार सिंह, उपसचिव.